न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 31/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 10.04.2026

निर्णय दिनांक : 01.05.2026

उनवान

1. नरेश सिंह उम्र 41 साल पुत्र श्री अमरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी शाहजहाँपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2. महेश सिंह पुत्र अमरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी शाहजहाँपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
3. माया देवी पत्नी अमरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी शाहजहाँपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
4. कमलेश पुत्री रतिराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
5. कोमल पुत्री बाबुलाल जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
6. दिनेश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
7. ब्रजेश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
8. रूबिन पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
9. रामप्रताप पुत्र रतिराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
10. विमला पुत्री रतिराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
11. शकुन्तला देवी पत्नी रतिराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
12. शशिबाला पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
13. शान पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
14. शीला पुत्री रतिराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
15. सुदेश पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
16. स्नेहलता पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
17. सुरेश पुत्र अमरपाल सिंह जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्रीमती संजू यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कृष्ण कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से।

दिनांक – 01.05.2026

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी नरेश बनाम महेश वगै0 मुकदमा संख्या 622/2025 मय टी0आई0 विचाराधीन है,

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 02 की ओर से कृष्ण कुमार यादव उपस्थित हुए।

3. वकील उभयपक्षकारान को सुना गया।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक वाद अनुवानी नरेश बनाम महेश वगैरह मुकदमा नम्बर 622/2025 मय टीआई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के समक्ष पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मय जवाब टीआई प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी ने ऐलानिया कहा कि हमारी बात एसडीओ नीमराना से हो गयी है हम तुम्हारा दावा व टी.आई. को खारिज करा कर रहेगें। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित होना चाहिए कि उन्हें न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारों को न्याय नहीं प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना विधि अनुरूप व न्याय संगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी ऐलानिया घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र मुन्तकिल नहीं किया गया तो माननीय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना प्रार्थी का वाद पत्र में प्रारम्भिक डिकी के आधार पर फाईन्ल डिकी जारी करने पर आमादा है। अंत में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण वाद पत्र, बउनवानी नरेश बनाम महेश वगैरह, मुकदमा नम्बर 622/2025 मय टी०आई० संख्या 540/2025 को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

5. वकील अप्रार्थी सं0 02 ने वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त है। जिसे प्रार्थी, अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में सुनवाई लंबित करने के उद्देश्य से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे एवं मनगंढत है। जो काबिले खारिज है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भारी शास्ति के साथ खारिज किया जावें।

6. तहत न्यायालय से प्राप्त बिन्दुवार टिप्पणी में उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने निवेदन किया कि उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दू मनगंढत एवं बनवाटी है जो स्वीकार्य नही है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानानतरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा प्रेषित बिन्दुवार टिप्पणी पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी नीमराना के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट एवं अनुमान आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल आशंका, अफवाह या एकपक्षीय कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रत्येक प्रकरण में केवल न्याय न मिलने की आशंका के आधार पर स्थानान्तरण किया जाने लगे, तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विधिसम्मत आधारों से रहित है तथा इसे स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नही बनता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निराधार, असंगत एवं प्रमाणविहीन पाए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलेक्टर
कोटपूतली-बहरोड़